UPGB042637892026

Presented on : 21-02-2026
Registered on : 21-02-2026
Decided on : 30-05-2026
Duration : 0 years, 3 months, 9 days

IN THE COURT OF
Addl. Civil Judge Sr. Div.-2/ACJM
AT ,Gautam Buddha Nagar
(Presided Over by Sri Shrayansh Niranjan)
Warrant or Summons/258732/2026

जे० ओ 0 कोड- UP3211

जेल लोक अदालत

वाद सं०-54/2026
सरकार बनाम राहुल
मु० अ० सं०-11/2026
धारा-4/25 आर्म्स एक्ट
थाना-ईकोटेक तृतीय
जिला-गौतमबुद्धनगर।

निर्णय
(दिनांक-30.05.2026)

पत्रावली जेल लोक अदालत में पेश हुई। अभियुक्त **राहुल पुत्र जवाहर सिंह** के द्वारा जुर्म इकबाल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त के द्वारा स्वेच्छा से अपराध स्वीकार किया गया है। अतः अभियुक्त को संस्वीकृति के आधार पर धारा-4/25 आयुध अधिनियम के अपराध में दोष सिद्ध ठहराया जाता है।

दिनांक : 30.05.2026

(श्रेयांश निरंजन)
अपर सिविल जज (सी०डि०)–द्वितीय
/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
गौतमबुद्धनगर।

अभियुक्त को सजा के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त के द्वारा कथन किया गया है कि वह एक गरीब परिवार का व्यक्ति है एवं उसका परिवार उसके उपर आश्रित है तथा अभियुक्त द्वारा कथन किया गया है कि अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति है। यह उसकी प्रथम दोषसिद्धि है। अभियोजन की ओर से पूर्व दोषसिद्धि के संबंध मे कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह पुनः अपराध कारित नहीं करेगा। अतः उसे परीविक्षा पर छोडा जाए अथवा केवल न्यूनतम जुर्माने से दण्डित किया जाए। अभियुक्त दिनांक 05.01.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ नहीं दिया जा सकता है।

Digitally signed by Shrayansh Niranjan
Date: 2026.05.30 14:30:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आदेश

प्रस्तुत संदर्भ में अभियुक्त **राहुल पुत्र जवाहर सिंह** को धारा 4/25 आयुध अधिनियम के प्रकरण में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि के साधारण कारावास एवं 1,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अर्थदण्ड जमा न किया जाने पर अभियुक्त को 05 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त द्वारा जेल में बिताई गई अवधि दण्डादेश की अवधि में समायोजित की जाती है।

पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांक : 30.05.2026

(श्रेयांश निरंजन)
अपर सिविल जज (सी०डि०)–द्वितीय
/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
गौतमबुद्धनगर।